

* स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक एवं ई-मेल

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद- अररिया, नवादा, सुपौल, सीतामढ़ी, मसौढ़ी एवं फतुहा।
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत- बिक्रम, मखदुमपुर एवं ईस्लामपुर।

पटना, दिनांक- ०४/०३/१४

विषय:- बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा राज्य योजनान्तर्गत 09 नगर निकायों में क्रियान्वित जलापूर्ति योजना से आंशिक रूप से अच्छादित होने वाले वार्डों के सम्पूर्ण क्षेत्र में जलापूर्ति एवं अवस्थित सभी घरों में House Connection हेतु ₹6244.654 लाख (बासठ करोड़ चौवालीस लाख पैसठ हजार चार सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल राज्य योजना से 50 प्रतिशत राशि अर्थात् ₹3122.327 लाख (एकतीस करोड़ बाईस लाख बत्तीस हजार सात सौ रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा राज्य योजनान्तर्गत कुल 32 नगर निकायों में जलापूर्ति योजना क्रियान्वित की जा रही है। बिहार राज्य जल पर्षद के द्वारा राज्य योजनान्तर्गत क्रियान्वित जलापूर्ति योजना में कई वार्ड आंशिक रूप से अच्छादित हो रहे हैं। इन 32 नगर निकायों में से नगर निगम- बिहारशरीफ, आरा एवं दरभंगा तथा नगर परिषद- बगहा, सहरसा एवं जहानाबाद में AMRUT योजना के तहत बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा पुरे शहर में जलापूर्ति योजना क्रियान्वित की जा रही है।

2. बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा राज्य योजनान्तर्गत क्रियान्वित 32 नगर निकायों में जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत पूर्व में House Connection का प्रावधान नहीं किया गया था। हर घर नल का जल निश्चय योजना लागू होने के उपरांत उक्त योजनाओं में House Connection का कार्य, योजना की स्वीकृत राशि एवं एकरारनामा की राशि के उपरांत बचे हुए अवशेष राशि से बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा किया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत 09 नगर निकायों में बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा क्रियान्वित House Connection की स्थिति निम्नवत है :-

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	House Connection की संख्या
1	2	3
1	नगर परिषद, अररिया	5235
2	नगर परिषद, नवादा	6092
3	नगर परिषद, सुपौल	3570
4	नगर परिषद, सीतामढ़ी	3500

5	नगर परिषद्, मसौड़ी	4586
6	नगर परिषद्, फतुहा	735
7	नगर पंचायत, बिक्रम	984
8	नगर पंचायत, मखदुमपुर	397
9	नगर पंचायत, ईस्लामपुर	1747

3. बिहार राज्य जल पर्षद/बुडको एवं नगर निकाय द्वारा एक ही वार्ड में सभी के द्वारा अलग-अलग आंशिक रूप से जलापूर्ति योजना क्रियान्वित करने की स्थिति में एकरूपता नहीं रहेगी। साथ ही वार्डों में जलापूर्ति योजना के अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु वार्ड समिति के गठन की कार्यवाही विभाग में प्रक्रियाधीन है। अतः आंशिक रूप से अच्छादित होने वाले वार्डों में जलापूर्ति योजना के रख-रखाव के संबंध में भविष्य में कठिनाई उत्पन्न होने की संभावना है।

4. उक्त स्थिति में यह निर्णय लिया गया है कि राज्य योजनान्तर्गत नगर निकाय के जिन वार्डों में बिहार राज्य जल पर्षद/बुडको द्वारा आंशिक रूप से योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, उन वार्डों के संपूर्ण क्षेत्र में जलापूर्ति योजना क्रियान्वित की जाएगी तथा उस वार्ड में अवस्थित सभी घरों में House Connection का कार्य भी संबंधित कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य जल पर्षद/बुडको द्वारा ही नए सिरे से निविदा कर किया जाएगा। इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 50 प्रतिशत राशि राज्यांश मद से विमुक्त किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत राशि नगर निकाय में पंचम राज्य वित्त आयोग तथा 14वें वित्त आयोग की राशि में से मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के लिए कर्णांकित 30 प्रतिशत राशि से नगर निकाय द्वारा कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य जल पर्षद को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि राज्य योजना से अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी तो नगर निकायों से अधियाचना प्राप्त होने पर आवंटित की जाएगी।

5. उक्त निर्णय के आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक- 7567, दिनांक- 24.11.2017 के आलोक में बिहार राज्य जल पर्षद के पत्रांक- 359, दिनांक- 20.02.2018 द्वारा 09 नगर निकायों में बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा राज्य योजनान्तर्गत क्रियान्वित जलापूर्ति योजना से लाभान्वित होने वाले वार्डों को पूर्ण रूप से अच्छादित करने हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राकलन उपलब्ध कराया गया है। उक्त पत्र के साथ संलग्न 09 नगर निकायों की योजनाओं की निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ- 04 के अनुसार राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए स्तम्भ- 05 के अनुसार सहायक अनुदान के रूप में राशि विभागीय राज्यादेश सं- 130, दिनांक- 08/03/18 के आलोक में निम्नवत् आवंटित की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	राज्यांश मद से तत्काल आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1.	नगर परिषद्, अररिया	नगर परिषद्, अररिया में राज्य योजनान्तर्गत पूर्व से स्वीकृत जलापूर्ति योजना से आंशिक रूप से अच्छादित 18 वार्डों (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) को पूर्ण रूप से अच्छादित करने एवं 5340 घरों में नल जल संयोजन करने हेतु योजना का क्रियान्वयन।	864.900	432.450

2.	नगर परिषद, नवादा	नगर परिषद, नवादा में राज्य योजनान्तर्गत पूर्व से स्वीकृत जलापूर्ति योजना से आंशिक रूप से अच्छादित 23 वार्डों (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28) को पूर्ण रूप से अच्छादित करने एवं 4864 घरों में नल जल संयोजन करने हेतु योजना का क्रियान्वयन।।	545.900	272.950
3.	नगर परिषद, सुपौल	नगर परिषद, सुपौल में राज्य योजनान्तर्गत पूर्व से स्वीकृत जलापूर्ति योजना से आंशिक रूप से अच्छादित 16 वार्डों (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 26, 27, 28) को पूर्ण रूप से अच्छादित करने एवं 3853 घरों में नल जल संयोजन करने हेतु योजना का क्रियान्वयन।	838.650	419.325
4.	नगर परिषद, सीतामढ़ी	नगर परिषद, सीतामढ़ी में राज्य योजनान्तर्गत पूर्व से स्वीकृत जलापूर्ति योजना से आंशिक रूप से अच्छादित सभी 28 वार्डों को पूर्ण रूप से अच्छादित करने एवं 10005 घरों में नल जल संयोजन करने हेतु योजना का क्रियान्वयन।	550.640	275.320
5.	नगर परिषद, मसौढ़ी	नगर परिषद, मसौढ़ी में राज्य योजनान्तर्गत पूर्व से स्वीकृत जलापूर्ति योजना से आंशिक रूप से अच्छादित सभी 26 वार्डों को पूर्ण रूप से अच्छादित करने एवं 5210 घरों में नल जल संयोजन करने हेतु योजना का क्रियान्वयन।	1322.037	661.019
6.	नगर परिषद, फतुहा	नगर परिषद, फतुहा में राज्य योजनान्तर्गत पूर्व से स्वीकृत जलापूर्ति योजना से आंशिक रूप से अच्छादित 19 वार्डों (05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26) को पूर्ण रूप से अच्छादित करने एवं 6138 घरों में नल जल संयोजन करने हेतु योजना का क्रियान्वयन।	608.929	304.465
योग (क)			4731.056	2365.528
7.	नगर पंचायत, बिक्रम	नगर पंचायत, बिक्रम में राज्य योजनान्तर्गत पूर्व से स्वीकृत जलापूर्ति योजना से आंशिक रूप से अच्छादित सभी 14 वार्डों को पूर्ण रूप से अच्छादित करने एवं 3187 घरों में नल जल संयोजन करने हेतु योजना का क्रियान्वयन।	539.740	269.870
8.	नगर पंचायत, मखदुमपुर	नगर पंचायत, मखदुमपुर में राज्य योजनान्तर्गत पूर्व से स्वीकृत जलापूर्ति योजना से आंशिक रूप से अच्छादित 11 वार्डों (02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 14, 15, 16) को पूर्ण रूप से अच्छादित करने एवं 3933 घरों में नल जल संयोजन करने हेतु योजना का क्रियान्वयन।	664.478	332.239
9.	नगर पंचायत, ईस्लामपुर	नगर पंचायत, ईस्लामपुर में राज्य योजनान्तर्गत पूर्व से स्वीकृत जलापूर्ति योजना से आंशिक रूप से अच्छादित 15 वार्डों (05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) को पूर्ण रूप से अच्छादित करने एवं 3302 घरों में नल जल संयोजन करने हेतु योजना का क्रियान्वयन।	309.380	154.690
योग (ख)			1513.598	756.799
कुल योग (क) + (ख)			6244.654	3122.327

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹3122.327 लाख (एकतीस करोड़ बाईस लाख बत्तीस हजार सात सौ ०) मात्र।

68

6. उपरोक्त सभी योजनाओं का प्राक्कलन बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा तैयार किया गया है। उक्त सभी योजनाओं में House Connection हेतु विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित दर ₹1513.00 प्रति कनेक्शन तथा Road Cutting एवं Restoration हेतु ₹620.00 का प्रावधान किया गया है। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा किया जाएगा। योजना का कार्यान्वयन Design Build Operate (DBO) mode में किया जाएगा। इसके रख-रखाव की जिम्मेवारी भी बिहार राज्य जल पर्षद को होगी। रख-रखाव पर व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जाएगा।

7. आवंटित कुल ₹3122.327 लाख (एकतीस करोड़ बाईस लाख बत्तीस हजार सात सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर निकाय होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा। राशि की निकासी के उपरांत संबंधित नगर निकाय के पी०एल० खाता में राशि संधारित की जायेगी। तत्पश्चात् चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद को उपलब्ध कराया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी।

8. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार सहित के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी के बाद T.V. नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496/वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

9. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपायोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

10. राशि का उपायोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही

किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

11.(क) उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ-5 के अनुरूप कुल आवंटित राशि ₹3122.327 लाख (एकतीस करोड़ बाईस लाख बत्तीस हजार सात सौ रु०) मात्र में से ₹2365.528 लाख (तेईस करोड़ पैसठ लाख बावन हजार आठ सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215-जल पूर्ति तथा सफाई- उप मुख्य शीर्ष -01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष 0102- पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2215017890102 विषय शीर्ष 0102.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी।

(ख) उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ-5 के अनुरूप कुल आवंटित राशि ₹3122.327 लाख (एकतीस करोड़ बाईस लाख बत्तीस हजार सात सौ रु०) मात्र में से ₹756.799 लाख (सात करोड़ छप्पन लाख उनासी हजार नौ सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215-जल पूर्ति तथा सफाई- उप मुख्य शीर्ष -01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता-उप शीर्ष 0101- पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2215011930101 विषय शीर्ष 0101.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी।

12 योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जायेगा :-

(i) नगर निकाय द्वारा प्रत्येक House Hold Connection देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नं० एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। नल जल कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload किया जायेगा।

(ii) योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

(iii) उक्त राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लिकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(iv) उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा।

13. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

14. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
15. संबंधित जिला पदाधिकारी तथा संबंधित नगर परिषद एवं नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय समय पर किया जायेगा।
16. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद/संबंधित नगर परिषद एवं नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब/जला०-01-01/2018 131

/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-08/03/18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-2, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को वेबसाइट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रबंधक, एम०आई०एस० को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

आनंद.

पत्रांक-2ब०/जला०-01-01/2018

130

/न०वि०एवंआ०वि०

* स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक एवं ई-मेल

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 08/03/18

विषय:- बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा राज्य योजनान्तर्गत 09 नगर निकायों में क्रियान्वित जलापूर्ति योजना से आंशिक रूप से अच्छादित होने वाले वार्डों के सम्पूर्ण क्षेत्र में जलापूर्ति एवं अवस्थित सभी घरों में House Connection हेतु ₹6244.654 लाख (बासठ करोड़ चौवालीस लाख पैसठ हजार चार सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल राज्य योजना से 50 प्रतिशत राशि अर्थात् ₹3122.327 लाख (एकतीस करोड़ बाईस लाख बत्तीस हजार सात सौ रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा राज्य योजनान्तर्गत कुल 32 नगर निकायों में जलापूर्ति योजना क्रियान्वित की जा रही है। बिहार राज्य जल पर्षद के द्वारा राज्य योजनान्तर्गत क्रियान्वित जलापूर्ति योजना में कई वार्ड आंशिक रूप से अच्छादित हो रहे हैं। इन 32 नगर निकायों में से नगर निगम- बिहारशरीफ, आरा एवं दरभंगा तथा नगर परिषद- बगहा, सहरसा एवं जहानाबाद में AMRUT योजना के तहत बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा पुरे शहर में जलापूर्ति योजना क्रियान्वित की जा रही है।

2. बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा राज्य योजनान्तर्गत क्रियान्वित 32 नगर निकायों में जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत पूर्व में House Connection का प्रावधान नहीं किया गया था। हर घर नल का जल निश्चय योजना लागू होने के उपरांत उक्त योजनाओं में House Connection का कार्य, योजना की स्वीकृत राशि एवं एकरारनामा की राशि के उपरांत बचे हुए अवशेष राशि से बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा किया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत 09 नगर निकायों में बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा क्रियान्वित House Connection की स्थिति निम्नवत है :-

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	House Connection की संख्या
1	2	3
1	नगर परिषद, अररिया	5235
2	नगर परिषद, नवादा	6092
3	नगर परिषद, सुपौल	3570
4	नगर परिषद, सीतामढ़ी	3500

5	नगर परिषद्, मसौढ़ी	4586
6	नगर परिषद्, फतुहा	735
7	नगर पंचायत, बिक्रम	984
8	नगर पंचायत, मखदुमपुर	397
9	नगर पंचायत, ईस्लामपुर	1747

3. बिहार राज्य जल पर्षद/बुडको एवं नगर निकाय द्वारा एक ही वार्ड में सभी के द्वारा अलग-अलग आंशिक रूप से जलापूर्ति योजना क्रियान्वित करने की स्थिति में एकरूपता नहीं रहेगी। साथ ही वार्डों में जलापूर्ति योजना के अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु वार्ड समिति के गठन की कार्रवाई विभाग में प्रक्रियाधीन है। अतः आंशिक रूप से अच्छादित होने वाले वार्डों में जलापूर्ति योजना के रख-रखाव के संबंध में भविष्य में कठिनाई उत्पन्न होने की संभावना है।

4. उक्त स्थिति में यह निर्णय लिया गया है कि राज्य योजनान्तर्गत नगर निकाय के जिन वार्डों में बिहार राज्य जल पर्षद/बुडको द्वारा आंशिक रूप से योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, उन वार्डों के संपूर्ण क्षेत्र में जलापूर्ति योजना क्रियान्वित की जाएगी तथा उस वार्ड में अवस्थित सभी घरों में House Connection का कार्य भी संबंधित कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य जल पर्षद/बुडको द्वारा ही नए सिरे से निविदा कर किया जाएगा। इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 50 प्रतिशत राशि राज्यांश मद से विमुक्त किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत राशि नगर निकाय में पंचम राज्य वित्त आयोग तथा 14वें वित्त आयोग की राशि में से मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के लिए कर्णांकित 30 प्रतिशत राशि से नगर निकाय द्वारा कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य जल पर्षद को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि राज्य योजना से अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी तो नगर निकायों से अधियाचना प्राप्त होने पर आवंटित की जाएगी।

5. उक्त निर्णय के आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक- 7567, दिनांक- 24.11.2017 के आलोक में बिहार राज्य जल पर्षद के पत्रांक- 359, दिनांक- 20.02.2018 द्वारा 09 नगर निकायों में बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा राज्य योजनान्तर्गत क्रियान्वित जलापूर्ति योजना से लाभान्वित होने वाले वार्डों को पूर्ण रूप से अच्छादित करने हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राकलन उपलब्ध कराया गया है। उक्त पत्र के साथ संलग्न 09 नगर निकायों की योजनाओं की निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ- 04 के अनुसार राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए स्तम्भ- 05 के अनुसार सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	राज्यांश मद से तत्काल स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1.	नगर परिषद्, अररिया	नगर परिषद्, अररिया में राज्य योजनान्तर्गत पूर्व से स्वीकृत जलापूर्ति योजना से आंशिक रूप से अच्छादित 18 वार्डों (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) को पूर्ण रूप से अच्छादित करने एवं 5340 घरों में नल जल संयोजन करने हेतु योजना का क्रियान्वयन।	864.900	432.450

2.	नगर परिषद्, नवादा	नगर परिषद्, नवादा में राज्य योजनान्तर्गत पूर्व से स्वीकृत जलापूर्ति योजना से आंशिक रूप से अच्छादित 23 वार्डों (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28) को पूर्ण रूप से अच्छादित करने एवं 4864 घरों में नल जल संयोजन करने हेतु योजना का क्रियान्वयन।।	545.900	272.950
3.	नगर परिषद्, सुपौल	नगर परिषद्, सुपौल में राज्य योजनान्तर्गत पूर्व से स्वीकृत जलापूर्ति योजना से आंशिक रूप से अच्छादित 16 वार्डों (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 26, 27, 28) को पूर्ण रूप से अच्छादित करने एवं 3853 घरों में नल जल संयोजन करने हेतु योजना का क्रियान्वयन।	838.650	419.325
4.	नगर परिषद्, सीतामढ़ी	नगर परिषद्, सीतामढ़ी में राज्य योजनान्तर्गत पूर्व से स्वीकृत जलापूर्ति योजना से आंशिक रूप से अच्छादित सभी 28 वार्डों को पूर्ण रूप से अच्छादित करने एवं 10005 घरों में नल जल संयोजन करने हेतु योजना का क्रियान्वयन।	550.640	275.320
5.	नगर परिषद्, मसौढ़ी	नगर परिषद्, मसौढ़ी में राज्य योजनान्तर्गत पूर्व से स्वीकृत जलापूर्ति योजना से आंशिक रूप से अच्छादित सभी 26 वार्डों को पूर्ण रूप से अच्छादित करने एवं 5210 घरों में नल जल संयोजन करने हेतु योजना का क्रियान्वयन।	1322.037	661.019
6.	नगर परिषद्, फतुहा	नगर परिषद्, फतुहा में राज्य योजनान्तर्गत पूर्व से स्वीकृत जलापूर्ति योजना से आंशिक रूप से अच्छादित 19 वार्डों (05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26) को पूर्ण रूप से अच्छादित करने एवं 6138 घरों में नल जल संयोजन करने हेतु योजना का क्रियान्वयन।	608.929	304.465
योग (क)			4731.056	2365.528
7.	नगर पंचायत, बिक्रम	नगर पंचायत, बिक्रम में राज्य योजनान्तर्गत पूर्व से स्वीकृत जलापूर्ति योजना से आंशिक रूप से अच्छादित सभी 14 वार्डों को पूर्ण रूप से अच्छादित करने एवं 3187 घरों में नल जल संयोजन करने हेतु योजना का क्रियान्वयन।	539.740	269.870
8.	नगर पंचायत, मखदुमपुर	नगर पंचायत, मखदुमपुर में राज्य योजनान्तर्गत पूर्व से स्वीकृत जलापूर्ति योजना से आंशिक रूप से अच्छादित 11 वार्डों (02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 14, 15, 16) को पूर्ण रूप से अच्छादित करने एवं 3933 घरों में नल जल संयोजन करने हेतु योजना का क्रियान्वयन।	664.478	332.239
9.	नगर पंचायत, ईस्लामपुर	नगर पंचायत, ईस्लामपुर में राज्य योजनान्तर्गत पूर्व से स्वीकृत जलापूर्ति योजना से आंशिक रूप से अच्छादित 15 वार्डों (05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) को पूर्ण रूप से अच्छादित करने एवं 3302 घरों में नल जल संयोजन करने हेतु योजना का क्रियान्वयन।	309.380	154.690
योग (ख)			1513.598	756.799
कुल योग (क) + (ख)			6244.654	3122.327

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹3122.327 लाख (एकतीस करोड़ बाईस लाख बत्तीस हजार सात सौ ₹०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

et

6. उपरोक्त सभी योजनाओं का प्राक्कलन बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा तैयार किया गया है। उक्त सभी योजनाओं में House Connection हेतु विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित दर ₹1513.00 प्रति कनेक्शन तथा Road Cutting एवं Restoration हेतु ₹620.00 का प्राक्कलन किया गया है। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा किया जाएगा। योजना का कार्यान्वयन Design Build Operate (DBO) mode में किया जाएगा। इसके रख-रखाव की जिम्मेवारी भी बिहार राज्य जल पर्षद को होगी। रख-रखाव पर व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जाएगा।
7. स्वीकृत कुल ₹3122.327 लाख (एकतीस करोड़ बाईस लाख बत्तीस हजार सात सौ रू०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर निकाय होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्राक्कानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा। राशि की निकासी के उपरांत संबंधित नगर निकाय के पी०एल० खाता में राशि संधारित की जायेगी। तत्पश्चात् चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद को उपलब्ध कराया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी।
8. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार सहित के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी के बाद T.V. नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496/वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।
9. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपायोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"
10. राशि का उपायोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

✓

11.(क) उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ-5 के अनुरूप कुल स्वीकृत राशि ₹3122.327 लाख (एकतीस करोड़ बाईस लाख बत्तीस हजार सात सौ रु०) मात्र में से ₹2365.528 लाख (तेईस करोड़ पैसठ लाख बावन हजार आठ सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215-जल पूर्ति तथा सफाई- उप मुख्य शीर्ष -01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष 0102- पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2215017890102 विषय शीर्ष 0102.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी।

(ख) उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ-5 के अनुरूप कुल स्वीकृत राशि ₹3122.327 लाख (एकतीस करोड़ बाईस लाख बत्तीस हजार सात सौ रु०) मात्र में से ₹756.799 लाख (सात करोड़ छप्पन लाख उनासी हजार नौ सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215-जल पूर्ति तथा सफाई- उप मुख्य शीर्ष -01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता-उप शीर्ष 0101- पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2215011930101 विषय शीर्ष 0101.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी।

12 योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जायेगा :-

(i) नगर निकाय द्वारा प्रत्येक House Hold Connection देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नं० एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। नल जल कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload किया जायेगा।

(ii) योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

(iii) उक्त राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(iv) उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा।

13. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

14. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/जला० 01-01/2018 के पृष्ठ सं०- 18 /टि० पर दिनांक- 07.03.2018 को प्राप्त है एवं सक्षम अधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०- 18 /टि० पर दिनांक- 07.03.2018 को प्राप्त है।



15. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
16. संबंधित जिला पदाधिकारी तथा संबंधित नगर परिषद् एवं नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय समय पर किया जायेगा।
17. इसकी सूचना संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद/संबंधित नगर परिषद् एवं नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब/जला-01-01/2018

130

/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-08/03/18

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद/संबंधित नगर परिषद् एवं नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-2, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रबंधक, एम0आई0एस0 को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतिषों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

आगत.